न्यायालय मुन्सिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–183 सन् 2022

झलड़ी देवी वगैरह.....वादीगण।

बनाम

जगनारायण पासवान वगैरह.....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 08.08.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 39 नियम 1 वो 2 वो धारा 151 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 27.09.2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी की ओर से आवेदन में कथन है कि वर्तमान वाद के तकरारी एराजी सिडियुल नं0 01, 02 वो 03 वादीगण की नैहरी संपत्ति है जो उसे बजरिये बांट, बाखुदहां के हिस्से में मिला है। जिसका पूर्ण विवरण वादपत्र में दिया गया है। पिता वादीगण चंद्रीका राम द्वारा तकरारी एराजी सिडियुल नं0 01 में से दीप नारायण पासवान पिता प्रतिवादीगण को रजिस्टरी शुदा बैनामा सिडियुल नं0 02 कर दिए। सभी प्रतिवादीगण, वादीगण की हकियती संपत्ति तकरारी एराजी सिडियुल नं0 03 जो भी सिडियुल नं0 01 का ही अंश है पर गैर कानूनी ढंग से बेदखल करके युद्धस्तर पर अवैध निर्माण कार्य करा रहे हैं। जिसके वजह से वर्तमान वाद की आवश्यकता हुई। प्रतिवादीगण को तकरारी एराजी सिडियुल नं0 03 पर अवैध रूप से वादीगण की हकियती भूमि पर निर्माण से रोकना आवश्यक है। प्रतिवादीगण द्वारा अवैध निर्माण कर स्वरूप बदलने से बजरिये इंतनाई चंदरोजा का आदेश पारित होना न्यायहित में आवश्यक है। सुविधा का भार वादीगण के पक्ष में है। इस आवेदन पत्र के स्वीकृत नहीं होने से अपूर्णिय क्षति वादीगण को होगा। अतः निवेदन है कि इंतनाई चंदरोजा एराजी तकरारी सिडियुल नं0 03 पर वादीगण के पक्ष में आदेश पारित कर ता फैसला मोकदमा हाजा अवैध निर्माण रोक दिया जाए।

प्रतिवादीगण की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 08.02.2023 को दाखिल कर कथन है कि जिस तरीका का वादीगण

ने इंतनाई आवेदन दाखिल किया है वह कानूनी पोषणीय नहीं है। बयान वादी मुन्दर्जे दफा 1 इंतनाई आवेदन इस प्रकार सही है कि उपरोक्त वाद को सिडियुल नं0 03 की संपत्ति 15 बैशाख 1930 वो रामधनी चमार ने सुपन ओझा को जबानी बैनामा किया था तथा उपरोक्त वाद की सिडियुल नं0 02 की संपत्ति को छोड़कर बंटवारा हुआ। बयान वादी मुन्दर्जे दफा 2 इंतनाई आवेदन सही है। वादी का कोई प्रथम दृष्टया वाद नहीं है और ना ही सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है और इंतनाई नहीं होने से वादीगण को कोई अपूर्णिय क्षति नहीं है। वादीगण ने बतौर टेस्ट केश वो प्रतिवादीगण को हरान वो परेशान करने की नियत से इंतनाई का आवेदन दाखिल किया है। सिडियुल नं0 03 की संपत्ति पर बैनामा दिनांक 13.10. 1973 वो सिडियुल नं0 02 को एक में मिलाकर प्रतिवादीगण ने अपना पक्का आवासीय मकान पलानी, नांद, खूंटा भुसैल का निर्माण किए हैं तथा खाली जमीन पर साग–सब्जी उपजाते हैं। प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल बयान तहरीरी इस कारण पृच्छा का अंश है। अतः निवेदन है कि वादीगण का इंतनाई आवेदन खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत आवेदन वादी ने इंतनाई हेतु दाखिल किया है। परंतु अर्जीदावी के अवलोकन से विदित होता है कि वादी का मुख्य अनुताष ही यह है कि तकरारी एराजी सिडियुल नं0 03 पर इंतनाई एवं अवैध निर्माण से रोकने हेतु वाद दाखिल किया है। इसके अलावा वादी का कोई अन्य अनुतोष नहीं है। ऐसी परिस्थिति में वादी द्वारा दाखिल आवेदन पर प्रारंभ में ही निर्णय किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है तथा वाद अभी प्रारंभिक अवस्था में ही है। जिसे बिना गुण–दोष के आधार पर निर्णय नहीं किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में तकरारी एराजी पर वादी का न तो कोई प्रथम दृष्टया मामला बनता है न ही सुविधा का संतुलन बनता प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल इंतनाई आवेदन दिनांक 27.09.2022 पोषणीय नहीं है।

वाद दिनांक.....को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

मुन्सिफ

सोनपुर सारण।